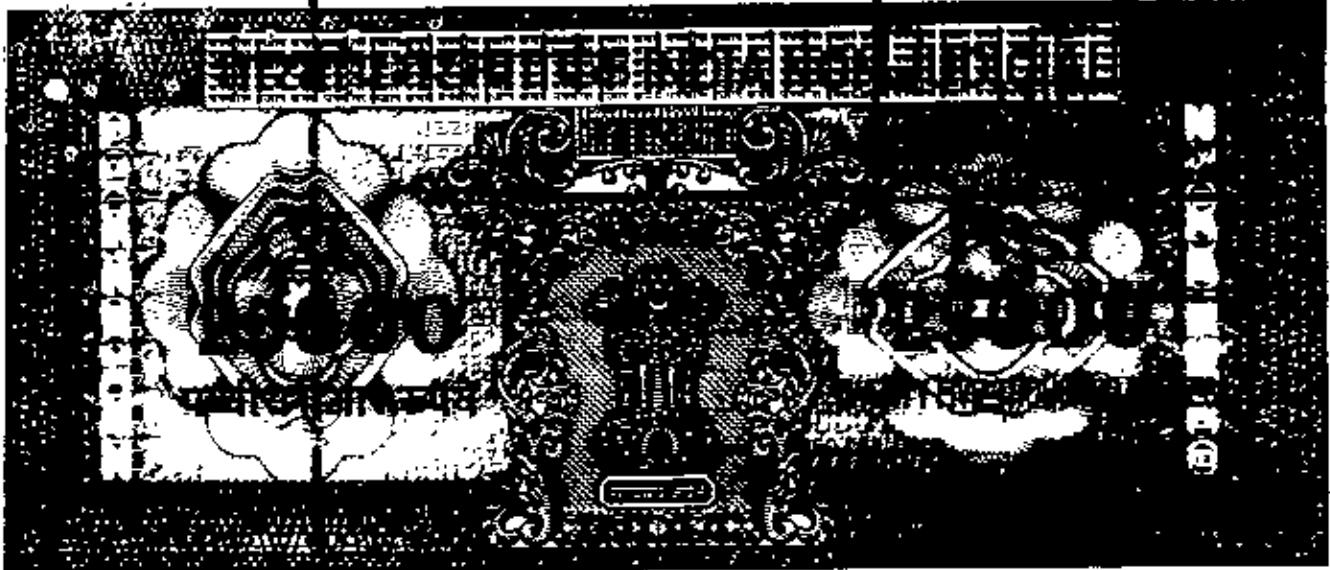




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 368941

20

खातेदार के रूप में अंकित कराया था व 1348 फसली के पूर्व से बेनी प्रसाद व

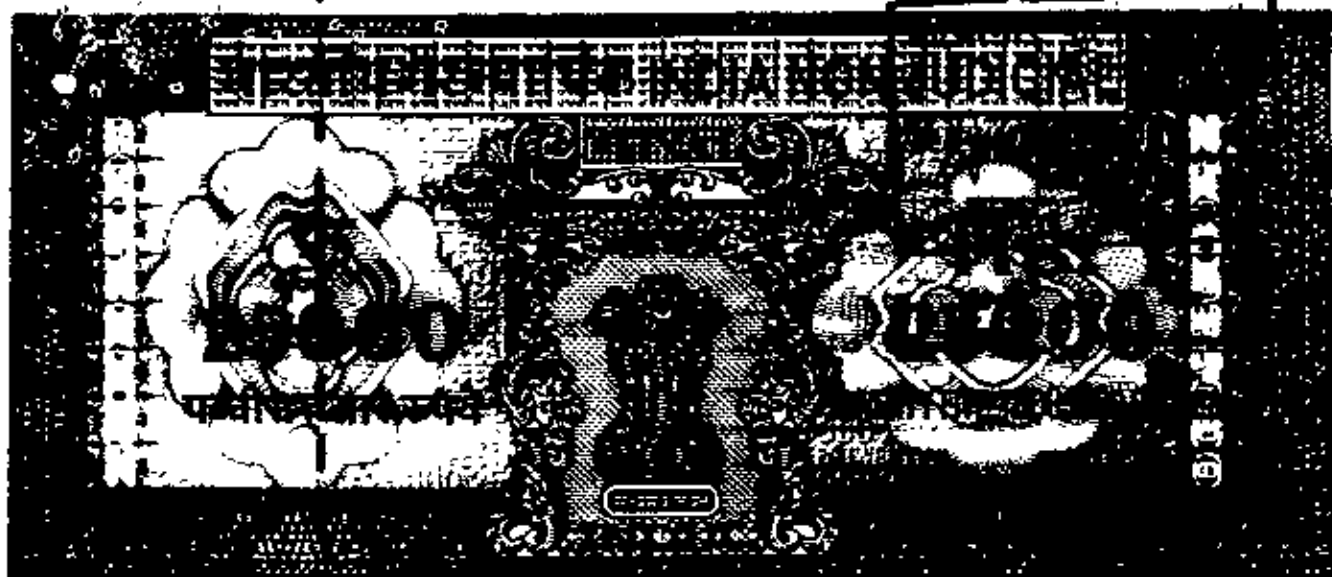
राजाराम का नाम उपरोक्त आराजियात में सह खातेदार के रूप में दर्ज चला

आ रहा था परन्तु गलती से उपरोक्त भूमि पर शिव प्रसाद पुत्र मुरली का नाम

प्रमाणपत्र

मैत्रि ठाकुर, सुरेंद्र कुमार, देवेंद्र कुमार

Chandra Prakash



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 368940

21

अंकित कर दिया गया जिनका कि कोई भी हक व हिस्सा उक्त भूमि में नहीं

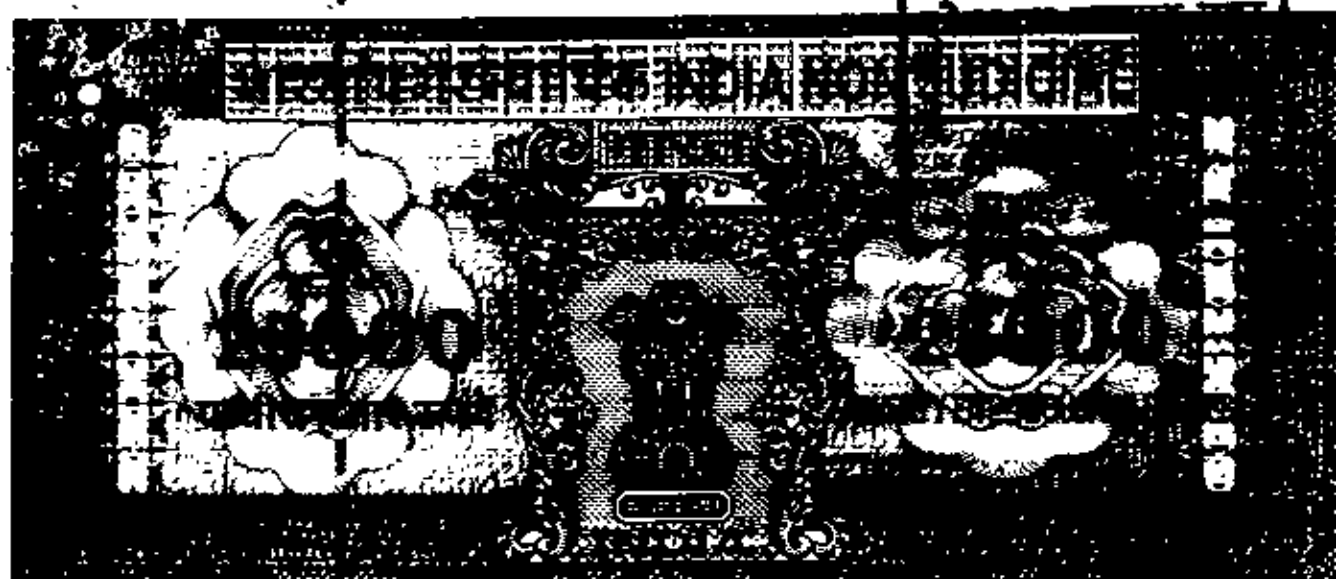
था अतः प्रभू नरायण रफ प्रभू दयाल ने सहायक कलेक्टर प्रथम

श्रेणी/परगनाधिकारी कानपुर के न्यायालय में एक वाद घास 229-बी/176

प्रभू नारायण

नरेश कुमार, सुरेन्द्र कुमार, दीनेश कुमार

(Chandra Prakash)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 368939

22

जमींदारी विनाश अधिनियम के अर्न्तगत वाद संख्या 97/82-83 दाखिल किया

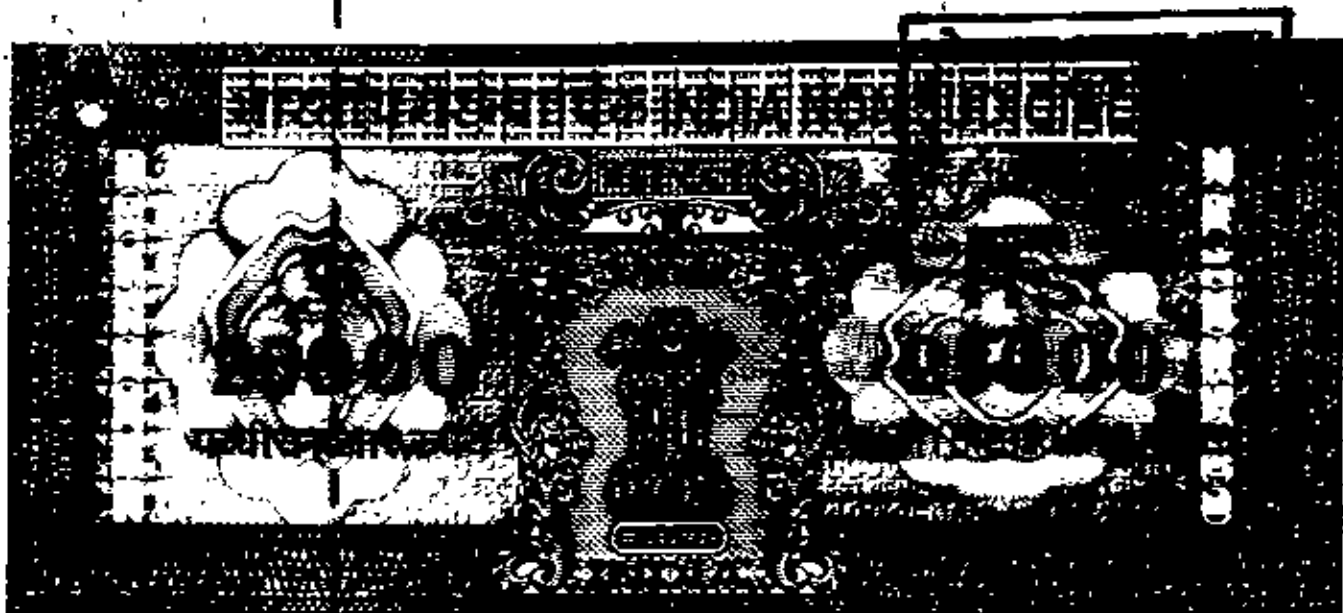
जो न्यायालय उपरोक्त में विचारधीन है व उपरोक्त वाद में माननीय न्यायालय

द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी व अपील दिवौजनल व अपीलेट कोर्ट में

प्रभूनाथ ५०१

मैडम, सुरेंद्र कुमार देवदत्त

(Chandra Prakash)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 368938

23

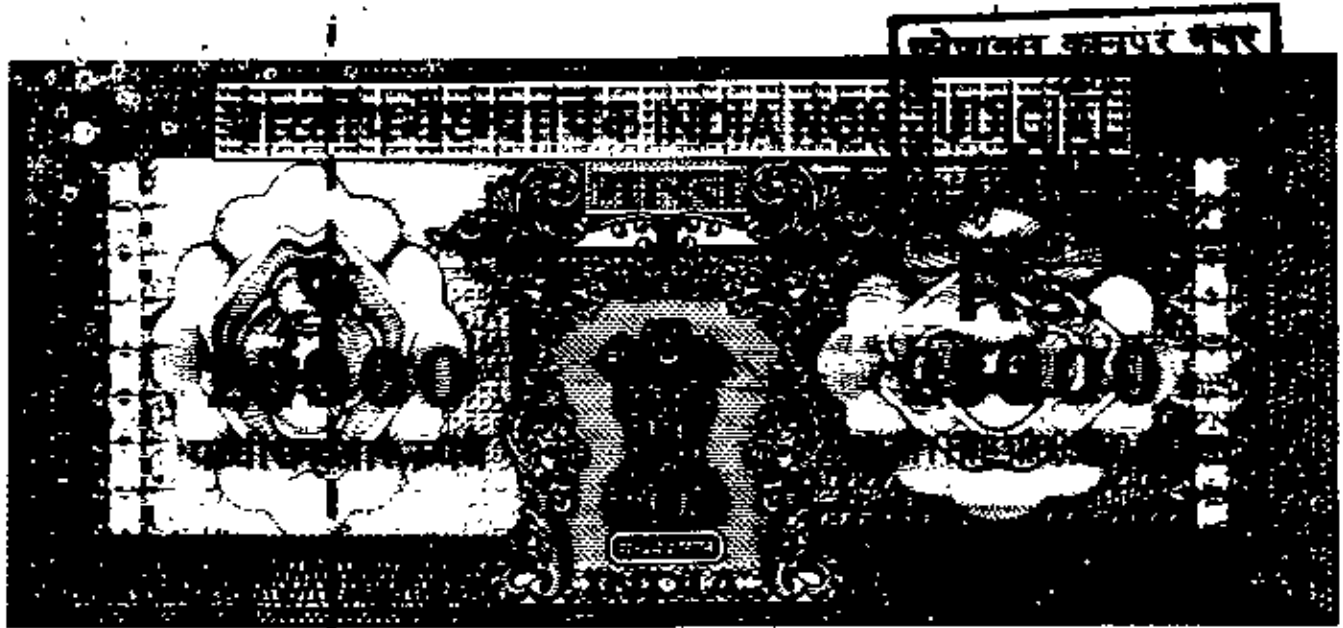
प्रस्तुत होकर निर्णीत हो चुकी हैं । विक्रेतागण उपरोक्त लम्बित वाद में नियत

तिथि पर अपने हर्जे खर्चे पर स्थगन आदेश दिनांक 8-8-1995 को निरस्त

प्रभुनारायण

नेरडुडूर, सुरेन्द्र कुमार डीनेश्वर

Charan Prakash .



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 368937

24

कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त करके

आदेश की सत्य प्रतिलिपि क्रेता को उपलब्ध कराकर पूर्ण रूप संतुष्ट कर देंगे ।

प्रस्तापन

नेरु नगर सुन्दर कृष्ण देवदत्त

(Handwritten signature)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 368936

25

यह भी विदित हो कि उक्त स्थगनादेश के द्वारा विक्रेतागण को आशंका

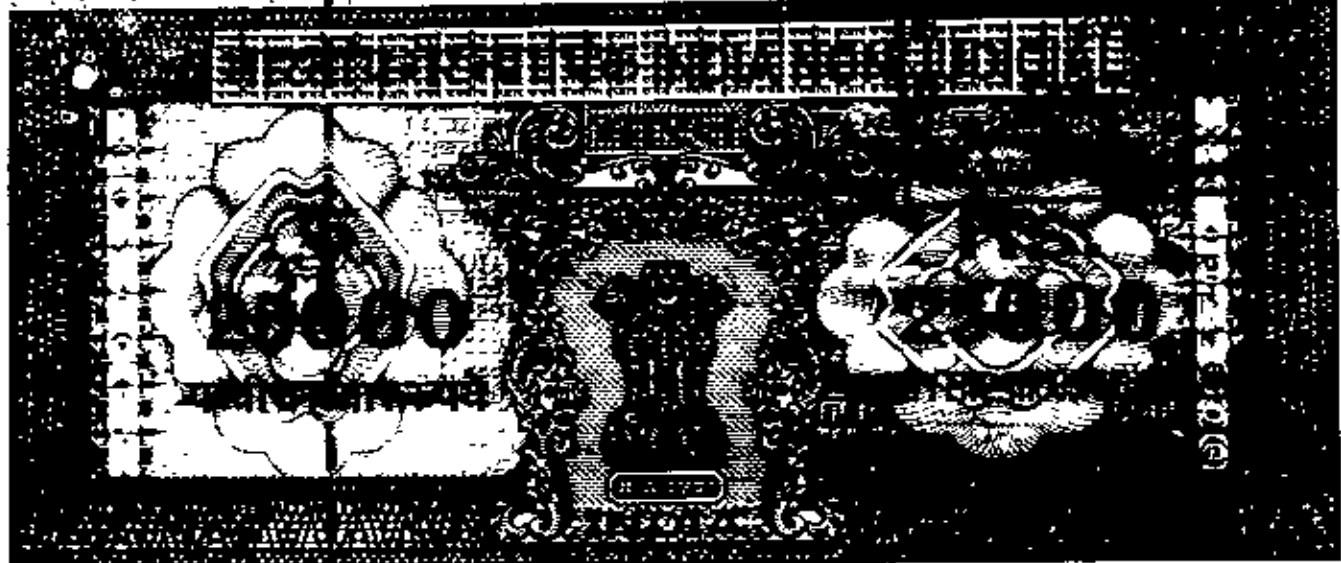
उपरोक्त को हस्तान्तरित करने के अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं क्योंकि उक्त

स्थगनादेश विक्रेतागण की प्रार्थना पर पारित किया गया है अतः उक्त को

प्रभु नारायण

नेतृ उम्, सुरन्द कुमार देवसुन्दर

(Chandra Prakash)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 368935

26

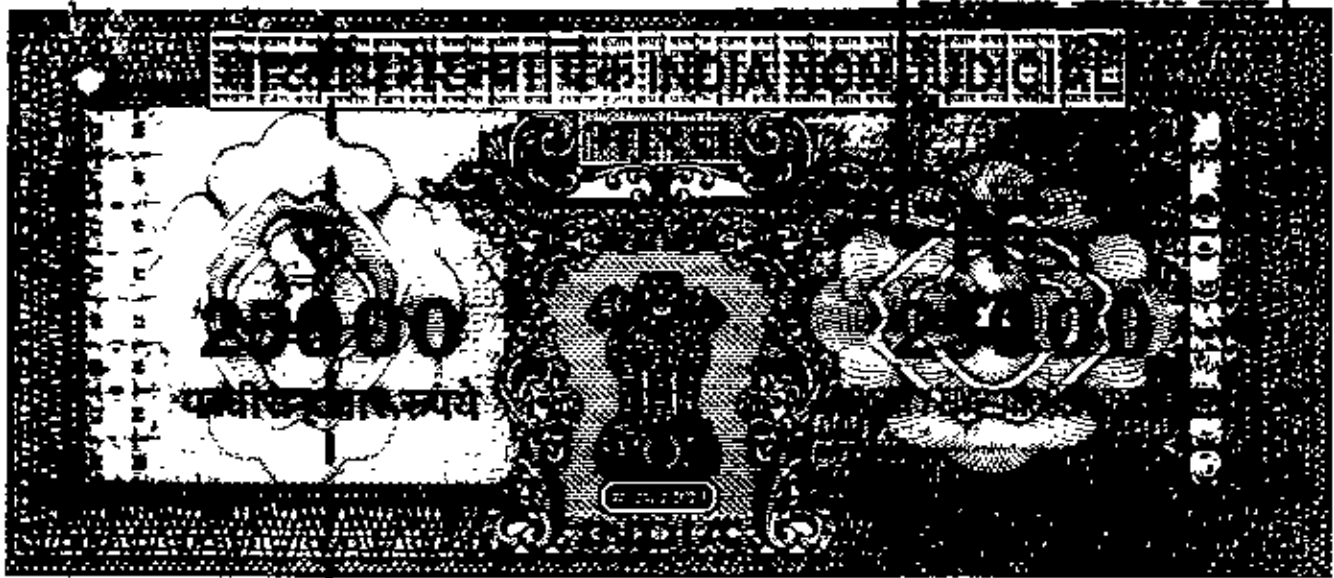
उपरोक्त लम्बित वाद में विक्रेतागण के समान आराजी उपरोक्त क्रय करने के

पश्चात् अधिकार होंगे ।

प्रश्नार्थक

नरेश्वर, सुन्दर, इन्द्रेश्वर

Phanagarishankar.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 368934

27

यह भी विदित हो कि श्री बेनी प्रसाद पुत्र लल्लू का देहान्त हो गया और

उन्होंने अपनी मृत्यु के समय अपने उत्तराधिकारियों में पुत्रगण प्रभूदयाल सर्फ

प्रभूदयाल व शम्भूदयाल को छोड़ा । दुर्भाग्यवश शम्भूदयाल का देहान्त भी

प्रभूदयाल

नरेश कुमार, सुरेश कुमार, विजय कुमार

Chandra Prakash :



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 368933

28

दिनांक 17-11-1995 को हो गया व उन्होंने अपनी मृत्यु के समय अपने

उत्तराधिकारियों में अपने पुत्रगण नरेन्द्र कुमार व सुरेन्द्र कुमार व देवेन्द्र कुमार

को छोड़ा । इस प्रकार विक्रेतागण आराजियात उपरोक्त के आधे भाग के

सुप्रीम कोर्ट

नरेन्द्र कुमार, सुरेन्द्र कुमार देवेन्द्र कुमार

Chandraprakash.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 368932

29

मालिक, काबिज व दखील हुये व उनका नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर आराजी

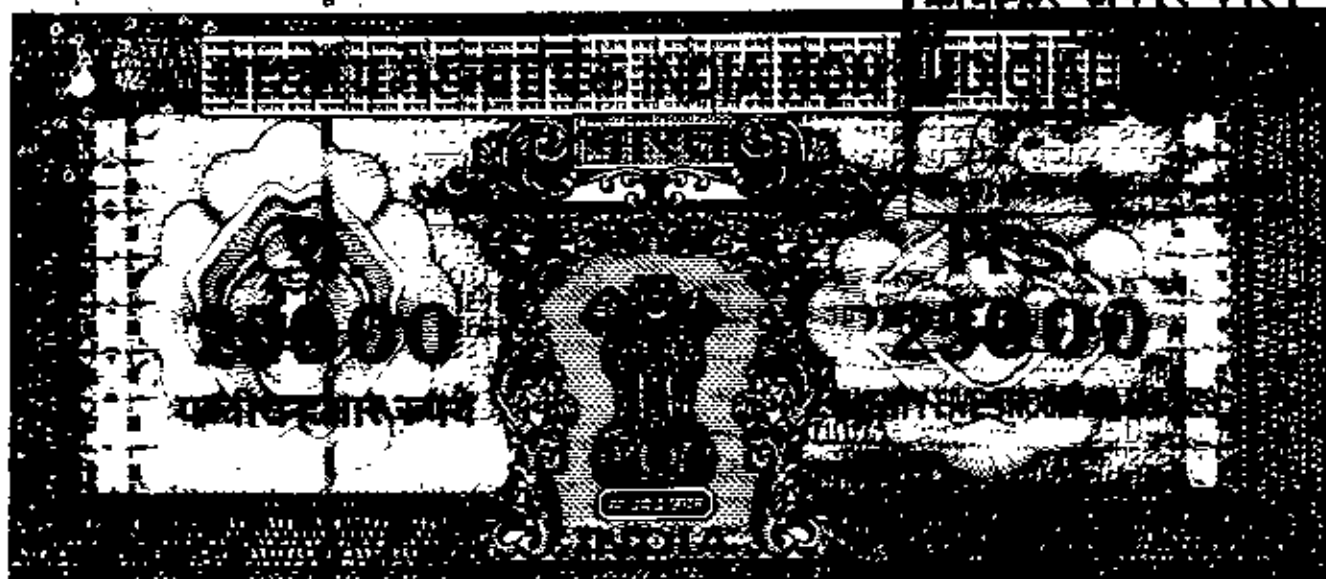
उपरोक्त पर राजस्व अमिलेखों में दर्ज है। विक्रेतागण/प्रथम पक्ष का नाम

आराजी उपरोक्त पर नू राजस्व विभाग के अमिलेखों में अंकित चला आ रहा है

प्रस्ताव

नेरु कुमार, सुरेन्द्र कुमार देवे कुमार

(bonafide purchase)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 368931

30

और प्रथम पक्ष ही आराजी उपरोक्त पर कास्त करते व लगान आदि अदा करते

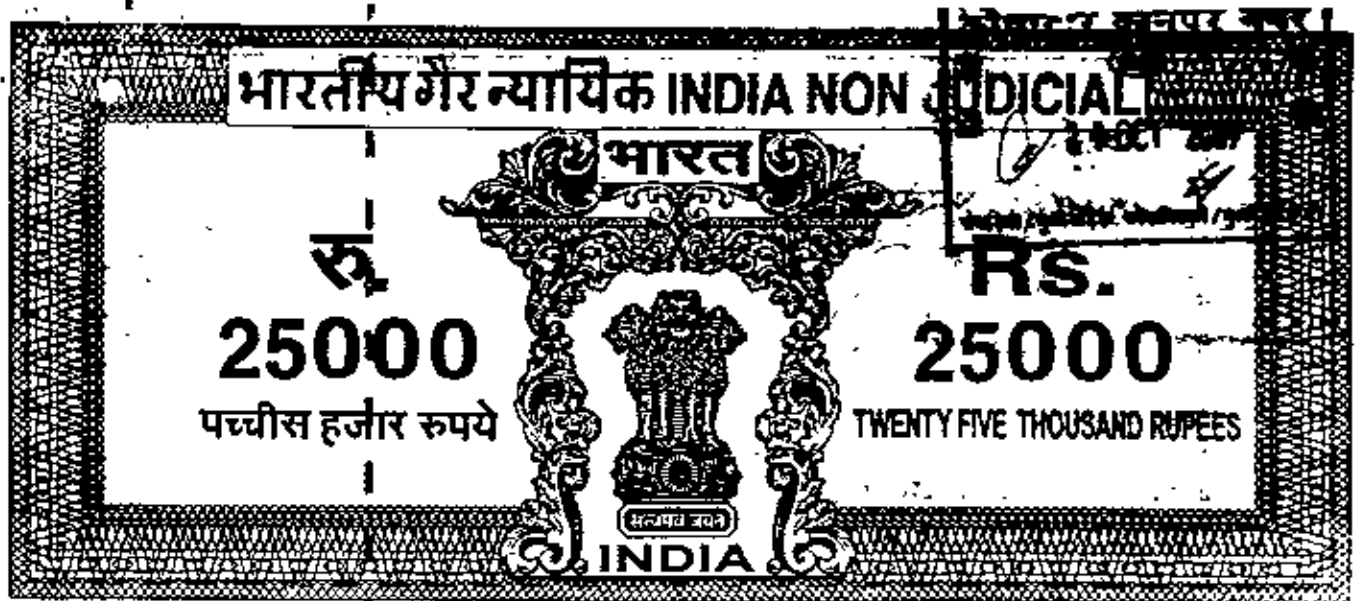
चले आ रहे हैं। प्रथम पक्ष के अलावा आराजी उपरोक्त का कोई दीगर व्यक्ति

हकदार व हिस्सेदार नहीं है जो कि आज दिन तक हर प्रकार की देनदारी

प्रमाणपत्र

नरेश कुमार, सुरेश कुमार देवदत्त

Chandra Prakash.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 368930

31

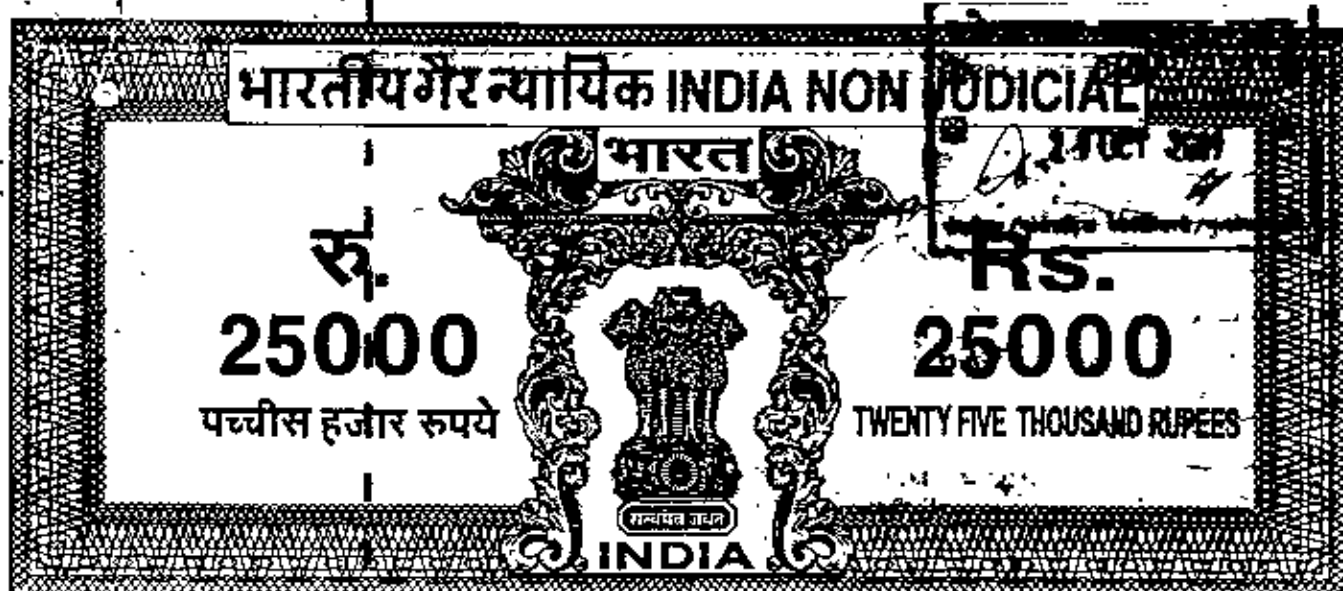
आदि से पाक व साफ है, कहीं किसी तौर पर दीगर जगह रहन व बय व

बन्धक आदि नहीं है और प्रथम पक्ष को आराजी उपरोक्त को विक्रय करने से

किसी न्यायालय के निषेधाज्ञा आदेश द्वारा रोका नहीं गया है और आराजी

प्रश्नारामण

नेरु उर, सुरेन्द्र कुमार ईनेरु
(Chandrasekhar)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 368929

32

उपरोक्त किसी की डिक्री में कुर्क व बरसरे नीलाम आदि नहीं है और आराजी

उपरोक्त में कोई इल्लत इनकम टैक्स व सेल टैक्स व बैंक लोन या सीलिंग

आदि की नहीं है और आराजी उपरोक्त किसी विभाग द्वारा अर्जित नहीं है और

प्रमाण

नरेश कुमार, सुरेश कुमार देव शुभ
(Chandra Prakash)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 368928

33

अर्जन सम्बन्धी कोई नोटिस आज दिन तक प्रथम पक्ष को किसी विभाग द्वारा

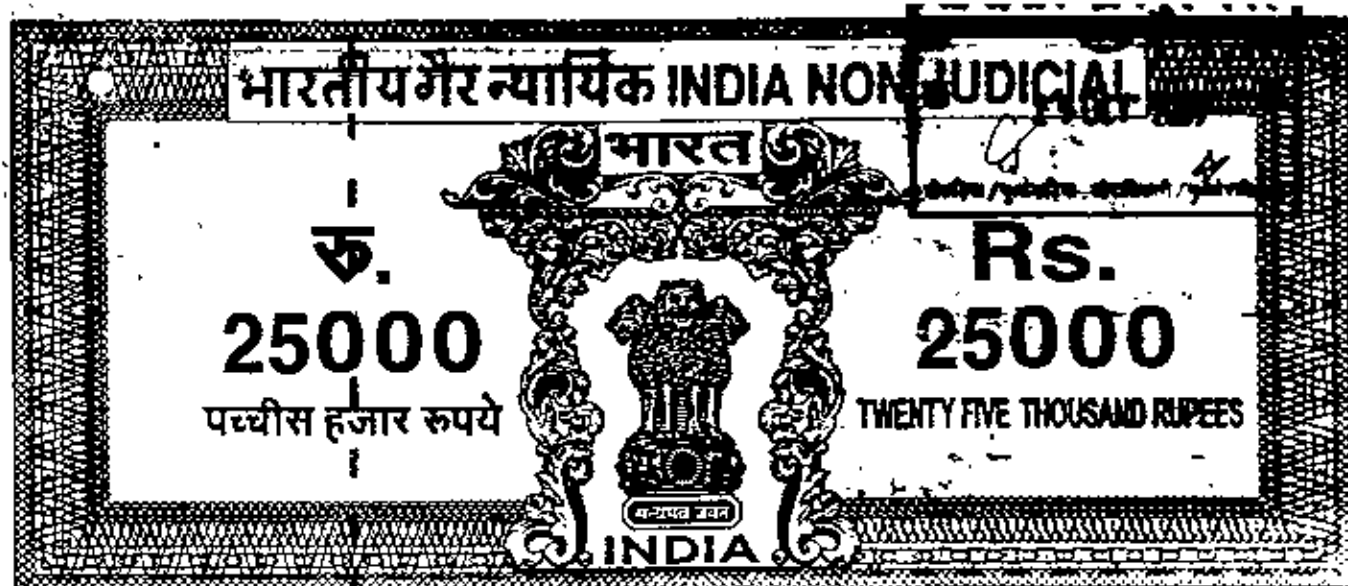
प्राप्त नहीं हुआ है । आराजी उपरोक्त आज दिन तक हर प्रकार की देनदारी

आदि से پاک व साफ है और समस्त अधिकार मालिकाना बाबत आराजी

प्रश्नोत्तर

जे. डी. सुन्दर कुमार देव

(Chandra Prakash)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 368927

34

उपरोक्त प्रथम पक्ष को हासिल है । यदि उपरोक्त बातों के विपरीत कोई बात

पायी जावे तो उसकी सारी जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी । चूंकि प्रथम पक्ष

को इस वक्त रुपये की आवश्यकता है और आराजी उपरोक्त के विक्रय करने

प्रस्तावित

नेरु सुन्दर कुमार
(Chandra Kumar)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 368926

35

के अलावा अन्य कोई विकल्प प्राप्ति रूपया का नजर नही आता है अतः

प्रथमपक्ष ने आराजी उपरोक्त के विक्रय करने की बाबत बात चीत की और

प्रथम पक्ष की आराजी उपरोक्त के हर प्रकार से पाक व साफ होने व तनहा

प्रस्तावित

नरेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार देवदत्त
Chandra Prakash.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 368925

36

अपनी मिल्कियत होने का यकीन व इत्मीनान दिलाने पर द्वितीय पक्ष बकीमत

मुबलिया 1,92,00,000/- एक करोड़ दयानवे लाख रुपया में खरीद करना

स्वीकार किया है कीमत निहायत उचित व बाज़ार भाव के अनुरूप है और इससे

प्रशुनाशम

नेरु कुं, सुरेन्द्र कुमार देव

Chandra Prakash.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 368924

37

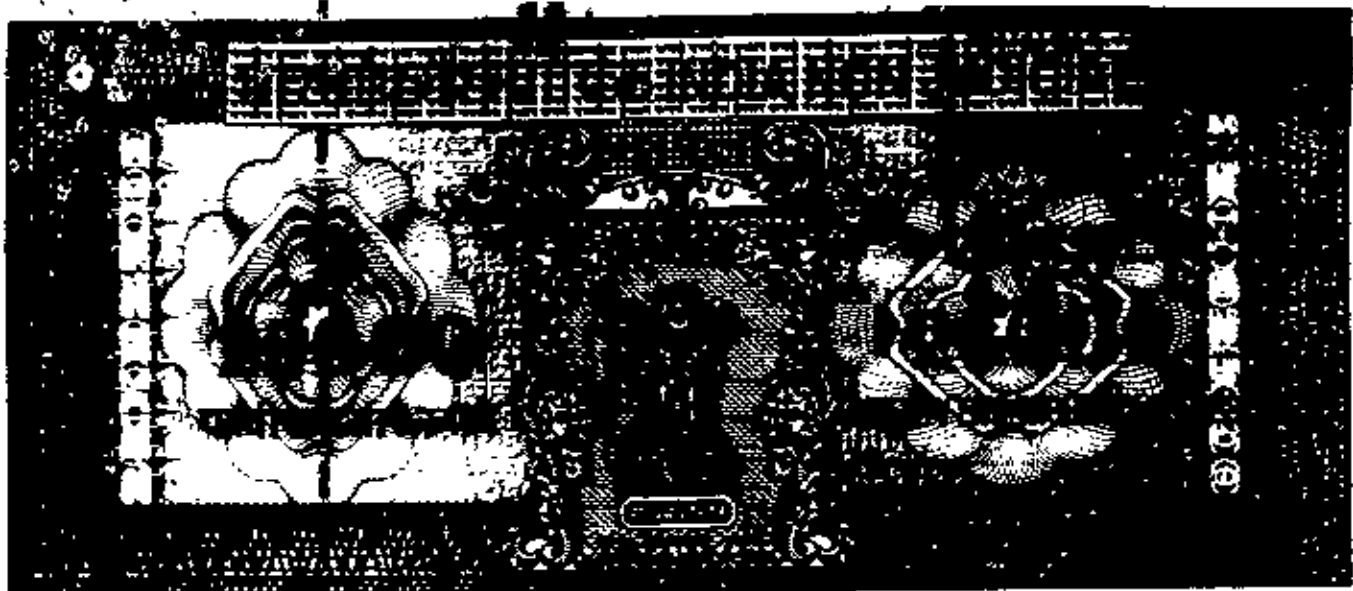
अधिक कीमत कोई निकट भविष्य में देने को तैयार नहीं है । अतः आराजी

उपरोक्त को मय समस्त अधिकारों के मय दाखिली व खारिजी हाल व आयन्दा

सबके सब को बजरूरत जायज मजकूरे वाला बिलएवज मुबलिंग

प्रमाण

नेरु कुं, सुरेन्द्र कुमार देवेंद्रकुं
(Chandraprakash)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 368923

38

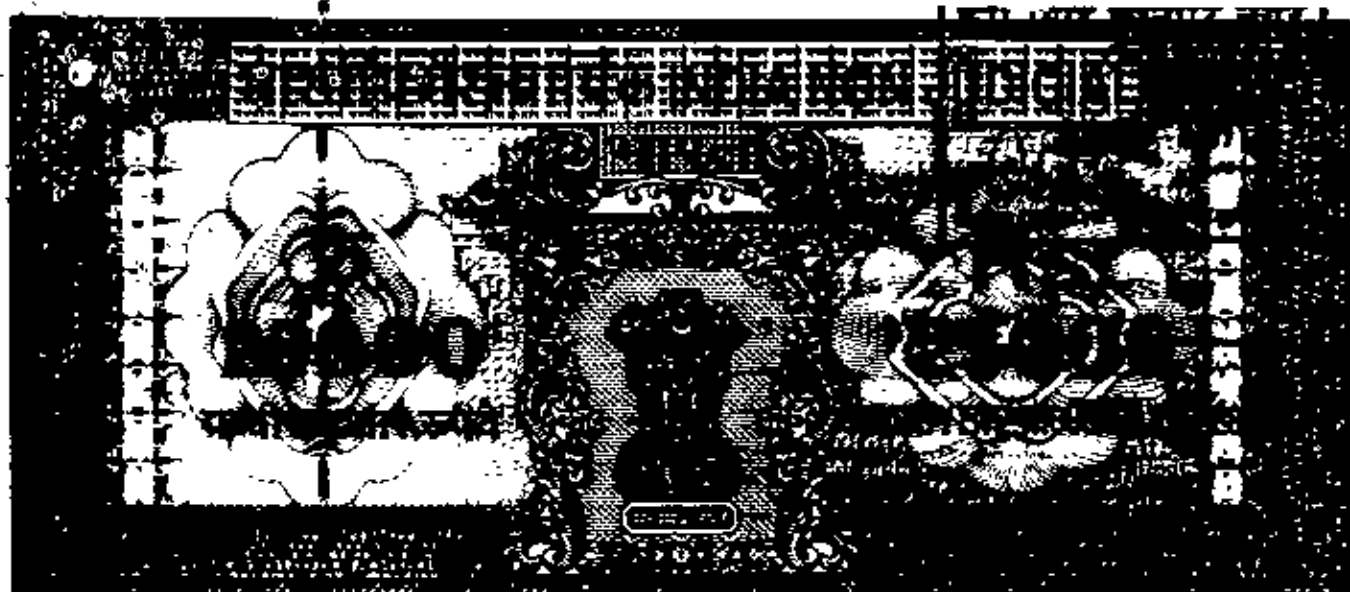
1,92,00,000/- एक करोड़ बयानबे लाख रुपया जिसके आवे मुबलगा

96,00,000/- छियानबे लाख रुपया होते हैं बदस्त द्वितीयपक्ष के बय कलाई

किया और फरोख्त कर डाला और कुल विक्रय धन नीचे लिखे विवरणानुसार

प्रभु नारायण

जे-उ सुगर, सुरेन्द्र कुमार देवेंद्र कुमार
(bandar489kesh)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 368922

39

प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिया है । अब कोई पैसा बाबत विक्रय

घन जिम्मे खरीदार द्वितीय पक्ष पाना बाकी नहीं रहा और न आयन्दा को होगा

और विक्रीत आराजी को प्रथम पक्ष ने अपने कब्जा व दखल मालिकाना से

प्र. प्र. नारायण

ने-उ-कुम्हार, सुरेन्द्र कुमार देवकुमार
Chandra Prakash.